न्यायालय – राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **एम0के0 सिंह**
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 50–दो/91 विरूद्ध आदेश दिनांक 31–10–90 पारित द्वारा अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना प्रकरण कमांक 78/82–83/अपील.

रामेश्वर दयाल पुत्र गयादीन प्रसाद
निवासी पोरसा तहसील पोरसा
जिला मुरैना म.प्र.. ..... आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन ..... अनावेदक

श्री एस.के. अवस्थी, अधिवक्ता, आवेदकगण.
श्री डी.के. शुक्ला, अधिवक्ता अनावेदक (शासन)

आदेश

(आज दिनांक 2–9 –2015 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता सन् 1959 (जिसे आगे केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 78/82–83/अपील में पारित आदेश दिनांक 31–10–90 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि विचारण न्यायालय के समक्ष इस आशय की रिर्पोट पटवारी द्वारा पेश की गई कि आवेदक ने पोरसा स्थित भूमि सर्वे नं. 771/4 के भाग 73 वर्गफुट रास्ते पर पाखाना एवं 38 9 फुट पर चबूतरा बनाकर अतिक्रमण किया है । तहसील न्यायालय द्वारा इस पर से आवेदक को कारण बताओ सूचनापत्र जारी किया गया तथा उन्हें सुने जाने के उपरांत आदेश दिनांक 31.8.82 द्वारा अतिक्रमण होना सिद्ध मानकर रूपये 1500/– का अर्थदण्ड आरोपित किया तथा 8 दिवस में अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिये । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने एस.डी.ओ. के समक्ष अपील की जो उन्होंने आदेश दिनांक 30.11.82 द्वारा निरस्त की । एस.डी.ओ.

के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत द्वितीय अपील अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्क श्रवण किए गए । उनके द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया कि विवादित भूमि नगर पालिका क्षेत्र में स्थित होने से संहिता की धारा 248 के प्रावधान वर्तमान प्रकरण में लागू नहीं होते । विवादित भूमि शासकीय होना सिद्ध नहीं किया गया और ना ही भूमि की कोई पैमाईश की गई । विचारण न्यायालय द्वारा उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर भी नहीं दिया गया है । विचारण न्यायालय ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत उत्तर एवं स्थल निरीक्षण किए जाने बावत आवेदन पर विचार नहीं किया है । नजूल तहसीलदार को वर्तमान प्रकरण में सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है । उक्त आधारों पर उनके द्वारा निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदक शासन की विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि आवेदक द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया जाना सिद्ध है । अपर आयुक्त ने प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों का उल्लेख करते हुए आदेश पारित किया है । अतः निगरानी निरस्त की जाये ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । यह प्रकरण अतिक्रमण का होकर संहिता की धारा 248 के अंतर्गत विचारण न्यायालय ने आदेश पारित किया जिसे दोनों अपीलीय न्यायालयों ने स्थिर रखा है । अपर आयुक्त ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि आलोच्य भूमि नगरपालिका के अंतर्गत है तो भी नजूल की भूमि होने के कारण तहसीलदार को नजूल तहसीलदार की शक्तियां होने से संहिता की धारा 19–एफ के अंतर्गत अधिकृत होकर वह कार्यवाही कर सकते हैं और इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का जो आदेश है वह क्षेत्राधिकार के भीतर है । जहां तक आवेदक को सुनवाई का अवसर का प्रश्न है उसने अपना उत्तर प्रस्तुत किया है । पटवारी व अन्य साक्षियों का कूटपरीक्षण आवेदक के अधिवक्ता ने किया है इसके उपरांत उसको लगातार समय दिये जाने के पर भी कोई साक्ष्य पेश नहीं कि इस कारण उसका यह कहना कि उसे समय नहीं दिया गया तथ्यों परे होकर स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है और इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदक की अपील को निरस्त की है । अपर आयुक्त का आदेश अभिलेख पर आधारित होकर विधिसम्मत, उचित

और न्यायिक है और ऐसा कोई आधार आवेदक द्वारा पेश नहीं किया गया जिनके बल पर पुनरीक्षण में हस्तक्षेप किया जाये ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्याालय का आदेश स्थिर रखा जाता है ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर